

CEO (WR) 13/1/2014

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प0 3(2)राज.-6/07/पार्ट/2 जयपुर दिनांक:- 13/5/14

संमस्त जिला,  
कलेक्टर।

परिपत्र:-

विषय:- वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेखों में  
इन्द्राज करने बाबत।

महोदय,

राज्य की ऐसी वक्फ सम्पत्तियां जो राजस्व रिकार्ड में किसी  
अन्य व्यक्ति /संस्था के नाम दर्ज हो गई है। को पुनः वक्फ के नाम  
दर्ज करने बाबत निम्न परिपत्र जारी किये गये है। सुलभ संदर्भ हेतु  
छायाप्रति संलग्न है।

1. प. 10(4)राज-7/देव/87 दिनांक 19.12.92
2. प. 4(4)वक्फ/10 दिनांक 8.5.06
3. प. 4(4) वक्फ/09 दिनांक 24.1.11
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ  
विभाग का अशा0 पत्र दिनांक 6.1.14 एवं स्मरण पत्र  
दिनांक 12.2.14

वक्फ सम्पत्तियों के राजस्व अभिलेखों में दुरुस्ति के प्रकरणों को  
राज्य सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित किया गया  
है।

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम (संशोधित) 2013 की धारा 5(3) के  
प्रावधान निम्न प्रकार है:-

(3) The revenue authorities shall.

1- Include the list of auqeb referred to in sub section (2)  
while updating the land records and;

Ram Singh 671


वामन  
श्री  
24/5/14

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव  
अल्प संख्यक मामलात विभाग  
आधरी क्रमांक 885  
दिनांक 14.5.14

2- Take in to consideration the list of acqaf referres to in sub section 2; whiile deciding mutation in the land record.

अतः उपरोक्त के अनुसरण में पुनः निर्देशित किया जाता है कि वक्फ सम्पत्तियों के मामलों में जारी निर्देशों की पालना की जावे एवं जो वक्फ सम्पत्तियां राजस्व रिकार्ड में किसी अन्य के नाम दर्ज हो गई है अथवा दर्ज होना शेष है उन्हें परिपत्रों एवं वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः वक्फ के नाम आवश्यक रूप से दर्ज करने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करे ताकि संशोधित वक्फ अधिनियम के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों की पालना हो सके।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(तपेश पवार)

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
2. सम्स्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान।
5. आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग जयपुर।
6. सचिव राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जलेब चौक जयपुर।
7. राविरा अजमेर।

  
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व